भवन किराये हेतु अनुबन्ध की नियम एवं शर्ते

1– प्रस्ताव स्वीकृत होने पर निर्धारित शर्तो के अनुसार भवन स्वामी/फर्म को रू 100.00 के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा जो कि अनुबन्ध हस्ताक्षर के बाद से प्रभावी होगा। अनुबन्ध समाप्त करने हेतु दोनों पक्षों की तरफ से कम से कम 03 माह का पूर्व नोटिस देना अनिवार्य होगा।

2– भवन का किराया निर्धारित होने के उपरान्त अग्रिम दो वर्षों तक मान्य रहेगा।

3– प्रस्ताव स्वीकृत होने पर अनुबन्ध की अवधि में किराये हेतु लिए गए भवन का पूर्ण भाग पूर्णतः निगम के आधिपत्य में रहेगा।

4– भवन हेतु समस्त निर्धारित टैक्स यथा जल कर, विद्युत कर, भवन कर एवं अन्य कर की कोई देयता अवशेष नहीं होनी चाहिए तथा भवन के स्वामित्व अथवा अन्य पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए।

5– भवन का नियमित रखरखाव, मरम्मत एवं सुरक्षा का दायित्व भवन स्वामी का होगा। किराये अवधि के दौरान दुर्भाग्यवश दुर्घटना होने, तोड़–फोड़ होने अथवा आपदा आने पर भवन स्वामी को मरम्मत आदि कार्य अपने खर्चे पर कराकर ठीक कराना होगा तथा निगम द्वारा उक्त कार्य हेतु कोई खर्च वहन नहीं किया जाएगा।

6– भवन स्वामी द्वारा भवन का मासिक बिल मुद्रित प्रारूप पर प्रत्येक माह की समाप्ति के एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करना होगा।

7–निगम द्वारा (द्वितीय पक्ष) द्वारा किराये के रूप में भवन स्वामी (प्रथम पक्ष) को उनके द्वारा प्रस्तुत बिल (प्रति माह अनुबन्धित धनराशि की दर से) के कम में माह पूर्ण होने के पश्चात् विभागीय कार्यवाही के उपरान्त तथा बजट उपलब्धता के आधार पर दो माह के अन्दर भुगतान करना होगा।

8– भवन स्वामी द्वारा अपने दो पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ एवं फोटो पहचान पत्र, पैनकार्ड आदि की प्रति अनुबन्ध पत्र के साथ संलग्न करनी अनिवार्य होगी।

9– निगम द्वारा भुगतान पर नियमानुसार वैधानिक कटौतियॉ की जायेगी।

10–भवन स्वामी निगम कार्यालय हेतु लगाये जाने वाले Sign Board के लिये समुचित स्थान उपलब्ध करायेगा।

11–निगम के विभिन्न उपकरणों हेतु पावर बैकअप की आवश्यकता होगी, अतः भवन स्वामी को भवन के अन्दर/बाहर खुले स्थान पर जेनरेटर/यू0पी0एस0/इनवर्टर आदि रखे जाने हेतु बिना आपत्ति समुचित स्थान उपलब्ध कराना होगा। साथ ही भवन स्वामी को कार्यालय के संचालन हेतु आवश्यक Minor modification , आवश्यक Wiring/Cable किये जाने हेतु कोई आपत्ति नही होगी।

12–कोई भी वाद को प्रथम दृष्टता परियोजना प्रबन्धक, ब्रिडकुल के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा निस्तारण नही होने पर प्रबन्ध निदेशक, ब्रिडकुल के समक्ष पेश किया जायेगा। इस सन्दर्भ में प्रबन्ध निदेशक, ब्रिडकुल का निर्णय अन्तिम होगा एवं दोनो पक्षों को मान्य होगा (उक्त के सम्बन्ध में प्रथमतः कोई भी वाद–विवाद मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम–1996 के अनुसार निपटाया जाएगा)। प्रबन्ध निदेशक, ब्रिडकुल Sole Arbitrator होंगे।

13– निगम द्वारा (द्वितीय पक्ष) किराये पर दी गयी सम्पत्ति में जो भी विद्युत का व्यय होगा उसके बिल का भुगतान द्वितीय पक्ष पृथक से मीटर आई रीडिंग के अनुसार ततसमय निर्धारित दरों पर करेगा। प्रथम पक्ष कार्यालय प्रयोजन हेतु द्वितीय पक्ष के अलग से विद्युत संयोजन उपलब्ध करायेगा, द्वितीय पक्ष द्वारा कार्यालय हेतु अधिकतम विद्युत भार पॉच के0वी0 वाट निर्धारित किया गया है।

14–भवन स्वामी (प्रथम पक्ष) द्वारा किराये पर दी गई सम्पत्ति जिस दशा में निगम (द्वितीय पक्ष) को दी गयी है वह किरायेदारी की अवधि समाप्त होते ही उसी दशा में सम्पत्ति का वास्तविक रिक्त अध्यासन प्रथम पक्ष को सौंप देगा। इस सन्दर्भ में उपरोक्त बिन्दु–11 के तहत किये गये कार्यों के सम्बन्ध में प्रथम पक्ष द्वारा कोई दावा नही किया जायेगा।

15—यह कि भवन के अनुबन्ध उपरान्त विभाग द्वारा भवन में कोई भी अस्थाई निमार्ण कार्य बिना भवन स्वामी की सहमति, यदि आवश्यक हो तो, से पूर्व नही किया जायेगा।

16—यह कि प्रथमपक्ष एवं द्वितीयपक्ष में उनके उत्तराधिकारी एवं वारीसान सम्मिलित है, समझे जायेगें।

17—यह कि प्रश्नगत भवन की सामान्य मरम्मत एवं रंग—रोगन आदि का कार्य भवन स्वामी द्वारा प्रत्येक दो वर्ष में किया जायेगा। भवन—स्वामी द्वारा निर्धारित समय में उक्त कार्य नहीं कराया जाता है तो द्वितीय पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह अपने ही स्तर से उक्त कार्य कराकर भुगताने की गयी धनराशि की कटौती भवन किराये से कर लेगा।

18— भवन हस्तांतरित करने से पूर्व भवन स्वामी, भवन की सम्पूर्ण रूप से मरम्मत, पुताई आदि करवा कर दूसरे पक्ष को देगा।

19— भवन स्वामी द्वारा कम से कम दो (चार पहिया) वाहन हेतु पार्किंग की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

20— भवन में कम से कम 1 (Common) शौचालय होना चाहिये।

21— वरिष्ठ अधिकारियों हेतु उनके बैठने के कमरों के साथ टॉयलेट बाथरूम सहित होने चाहिए।

22— प्रस्तावित भूमि/भवन सभी वाद— विवादों से रहित हो।

घोषणा —पत्र

मैं..(भवन स्वामी/भूस्वामी का नाम) एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त सभी शर्ते मुझे मान्य है।

भवन/भूस्वामी के हस्ताक्षर ....

नाम ....

भवन/भूस्वामी का पता ....

भवन/भूस्वामी की मुहर ....

भवन किराये हेतु भवन स्वामी का विवरण व दरें

1. भवन स्वामी/प्रस्तावक का नामः—
2. भवन स्वामी/प्रस्तावक का पूरा पताः—
3. भवन स्वामी/प्रस्तावक का दूरभाष/मोबाइल नम्बरः—
4. भवन का पताः—

कमांक	भवन का निर्माण वर्ष	किराये पर दिये जाने वाले भवन का कवर्ड क्षेत्रफल (वर्गफीट में)	भवन में उपलब्ध खुला क्षेत्रफल	जिलाधिकारी कैम्प कार्यालय से भवन की दूरी	भवन का किराया प्रतिमाह समस्त करों सहित (विद्युत एवं जल बिल अतिरिक्त)

भवन स्वामी के हस्ताक्षर

नाम

भवन स्वामी/प्रस्तावक की मुहर